भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2938
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राजस्थान में पीएमएफबीवाई का लाभ प्राप्त करने वाले किसान
2938. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या राजस्थान राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उचित लाभ नहीं मिल रहा है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार उन कारणों को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है;
(ग) चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान झुंझुनू जिले सहित राजस्थान में कितने किसानों ने अपनी फसलों को फसल बीमा के अंतर्गत कवर किया है और बीमा का दावा करने वाले किसानों की संख्या सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान दावों के संबंध में मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि कम्पनियां किसानों द्वारा किए गए बीमा दावों के दौरान अनियमितताओं में लिप्त रहती हैं, जिसके कारण किसान अपने दावों से वंचित रह जाते हैं; और
(ड.) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के संज्ञान में हैं और कितने मामलों पर कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जी नहीं। राजस्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को कार्यान्वित करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। वर्ष 2016-17 में योजना की शुरुआत से लेकर 2023-24 तक राजस्थान में 812 लाख हेक्टेयर बीमित क्षेत्र के लिए 1558 लाख किसानआवेदनों को 28732 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए बीमित किया गया है। इस अवधि के दौरान योजना के तहत 433 लाख किसान आवेदनों को 5825 करोड़ रुपये के किसान प्रीमियम के विरुद्ध 28966 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक नामित किसान आवेदनों की संख्या और दावों का भुगतान किए गए किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I और II** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान के आकलन से संबंधित सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त समिति और संबंधित बीमा कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि, देश में पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के खिलाफ दावों का भुगतान न करने और देरी से भुगतान करने; बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान; उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के

बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से का फंड देने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करना आदि के बारे में विगत में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर शिकायतों का उचित समाधान किया गया है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित परिवादों/शिकायतों को हल करने के लिए, इस योजना के संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत (स्ट्रेटिफाइड) शिकायत निवारण तंत्र नामतः जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिवादों/शिकायतों की सुनवाई करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान करने के लिए प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए जनवरी, 2024 में, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित और लॉन्च किए गए हैं। एक सिंगल अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समय सीमा भी तय की गई है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को एकीकृत मंच पर स्टेकहोल्डरों की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

अनुबंध-I

राजस्थान - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस संयुक्त के तहत वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार विवरण				
ज़िला	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
अजमेर	316,507	1,054,042	1,277,895	1,308,417
अलवर	458,682	1,111,976	1,121,163	960,311
बांसवाड़ा	159,519	806,666	795,404	605,170
बारां	148,163	502,918	519,423	583,099
बाड़मेर	725,079	1,183,552	1,577,482	1,819,718
भरतपुर	229,746	2,226,148	2,795,040	2,958,648
भीलवाड़ा	452,382	1,341,198	1,465,171	1,308,741
बीकानेर	389,452	1,380,330	1,788,136	1,593,579
बूंदी	241,370	930,756	898,356	775,545
चित्तौड़गढ़	494,090	1,171,695	1,376,802	1,322,009
चुरू	640,298	1,626,321	1,838,974	2,030,169
दौसा	149,263	469,768	365,408	377,746
धौलपुर	20,177	138,462	161,988	143,191
डूंगरपुर	87,035	697,754	641,614	654,989
हनुमानगढ़	521,417	4,143,597	5,129,217	5,522,510
जयपुर	639,833	2,023,033	2,486,777	2,589,566
जैसलमेर	184,093	255,252	296,927	281,958
जालौर	545,544	1,193,589	1,337,494	1,337,294
झालावाड़	376,062	1,324,636	1,420,365	1,440,228
झुंझुनू	427,350	1,122,823	1,154,028	1,247,067
जोधपुर	588,582	725,533	918,231	797,480
करौली	79,413	214,511	229,793	223,561
कोटा	268,037	587,537	628,683	560,981
नागौर	521,026	717,790	801,316	780,478
पाली	246,246	461,268	554,882	479,216
प्रतापगढ़	163,955	455,838	470,386	483,507
राजसमंद	69,238	198,613	194,609	198,315
सवाई माधोपुर	222,789	682,603	664,267	634,431
सीकर	470,103	1,015,313	1,057,340	1,103,647
सिरोही	61,471	78,587	117,763	109,593
श्री गंगानगर	400,581	3,042,513	3,318,450	3,121,809
टोंक	337,823	1,002,812	1,154,815	1,081,802
उदयपुर	124,261	583,303	538,489	557,076
कुल	**10,759,591**	**34,470,735**	**39,096,690**	**38,991,851**

स्रोत: एनसीआईपी

अनुबंध- II

राजस्थान - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस संयुक्त के तहत 2020-21 से 2023-24 तक दावे प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों की जिलावार संख्या				
जिले का नाम	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
अजमेर	42,526	265,116	391,954	457,295
अलवर	17,144	19,329	161,997	11,026
बांसवाड़ा	5,206	76,149	74,051	55,158
बारां	45,922	227,443	71,125	26,708
बाड़मेर	153,025	925,680	270,963	719,065
भरतपुर	7,536	174,167	645,415	68,516
भीलवाड़ा	111,836	408,741	363,844	365,486
बीकानेर	238,069	860,390	246,130	202,810
बूंदी	89,097	338,295	216,038	47,148
चित्तौड़गढ़	63,930	311,083	346,270	398,972
चुरू	335,040	680,796	952,387	168,932
दौसा	13,735	665	24,330	17,008
धौलपुर	72	9,274	5,128	1,354
डूंगरपुर	16,089	106,614	211,243	61,013
हनुमानगढ़	298,937	2,387,790	2,494,316	789,930
जयपुर	58,256	222,068	430,084	628,951
जैसलमेर	71,193	57,551	46,086	47,560
जालौर	147,252	872,692	461,042	216,945
झालावाड़	158,084	629,233	407,534	84,697
झुंझुनू	105,696	536,277	532,942	203,474
जोधपुर	90,330	404,452	244,263	330,197
करौली	4,305	18,458	10,458	1,197
कोटा	18,391	179,836	110,811	14,261
नागौर	77,607	287,328	212,023	229,000
पाली	40,784	229,030	53,359	144,018
प्रतापगढ़	34,004	101,021	98,430	91,309
राजसमंद	6,828	2,754	23,478	8,353
सवाई माधोपुर	17,755	87,308	130,109	110,467
सीकर	60,692	167,315	520,770	328,979
सिरोही	3,529	34,011	4,430	13,963
श्री गंगानगर	102,531	1,248,941	823,497	563,866
टोंक	66,071	134,795	373,528	37,873
उदयपुर	32,596	226,757	247,325	37,893
कुल	**2,534,068**	**12,231,357**	**11,205,360**	**6,483,424**

स्रोत: एनसीआईपी

******